हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांकः–30 जून, 1997

सं0 सा0 का0 नि0 55/संवि0/अनु0 309/97, – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, निदेशालय, हरियाणा स्थानीय निकाय, हरियाणा (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

भाग–I सामाग्य

संक्षिप्त नाम तथा लागूकर.ा।

1. ये नियम निदेशालय, हरियाणा स्थानीय निकाय, हरियाणा (ग्रुप 'ख') सेवा नियम, 1997, कहे जा सकते है

परिभाषाएँ।

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) 'आयोग' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) 'सीधी भर्ती' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तणा से अन्यथा की गई हो;

(ग) ''निदेशक '' से अभिप्राय है, निदेशक, स्थानीय निकाय, हरियाणा ;

(घ) ''सरकार '' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) संस्था से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) ''मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय '' से अभिप्राय है;

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित काई भी विश्वविद्याालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र(डिप्लोमा)या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब सिन्ध या ढाका विश्वविद्याालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्याील घोषित किया गया हो ;

(छ) ''सेवा'' से अभिप्राय है निदेशालय, हरियाणा स्थानीय निकाय, हरियाणा (ग्रुप 'ख') सेवा।

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी या अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्टीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका अथवा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलाबी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड.) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा मे पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्त्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों, और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को 21 वर्ष से कम या 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा मे किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त की दशा में पूर्वोतम परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यतायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव सम्बंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर, 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में उनके लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं

8. कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढ़ंग से की जायेगीः–

(क) उप–मण्डल अभियन्ता–एवं–सहायक अभियन्ता की दशा में,–

(i) कनिष्ठ अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) लेखा अधिकारी की दशा में, ––

(i) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा अथवा खजान एवं लेखा विभाग, हरियाणा से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) सहायक जिला न्यायवादी की दशा में,––

(i) निदेशक, अभियोजन, हरियाणा से स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) सहायक नगर योजनाकार की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ड.) सहायक निदेशक (निर्वाचन) की दशा में,–

(i) अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

टिप्पणीः– सहायक निदेशक निर्वाचन के पद के कर्तव्य अधीक्षक के पद के कर्तव्यों से अधिक उतरदायित्व वाली तथा महत्वपूर्ण है।

(च) अधीक्षक की दशा में ; –

(i) उप अधीक्षक, सहायक, निजि सहायक और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(2) सेवा में सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा

(10) (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो , तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु,:–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की और ˙ गिनी जायेगी;

(ख) स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन नियुक्ति की कोई भी अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्ति न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

2. यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्ते अनुसार हो,

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो,–

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्ति किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्ति न किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्ते अनुज्ञात करे , या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था;

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा–काल के अनुसार निश्चित की जायेंगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहॉ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, ऐसी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में से उनके सेवा काल के अनुसार और यदि सेवा काल भी समान हो, तो आयु में बडा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में या उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने का दायी होगा।

(2) सेवा में किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है,–

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व हरियाणा राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, राज्य सरकार, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्याालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अर्न्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय;

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किया या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले

13 वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा ऐसे सभी मामलो के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गये हों, अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जाएं।

अनुशासन, शास्तिया तथा अपीलें

14 (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलो से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगेः

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप तो लगायी जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों अधीन रहते हुए वह होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987, के नियम 9 के उपनियम (i) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार ; किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगे।

राजनिष्ठा की शपथ

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की भशक्ति

17. जहॉ सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहॉ वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्ते लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैः

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप, उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ठ क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	उप–मण्डल अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता	–	2	2	2,000–75–2,800–द.रो–100 ––4,000 रूपये
2.	लेखा अधिकारी	–	1	1	2,000–60–2,300– 75– 2,900 द.रो––100–3500 रूपये
3.	सहायक जिला न्यायवादी	–	1	1	2,000–60–2,300– 75– 2,900 द.रो––100–3,500 जमा 200 रू0 विशेष वेतन
4.	सहायक नगर योजनाकार	–	1	1	2,000–60–2,300– 75– 2,900 द.रो––100–3,500 जमा 200
5.	सहायक निदेशक(निर्वाचन)	1	–	1	2,000–60–2,300– 75– 2,900 द.रो––100–3,500 रूपये
6.	अधीक्षक	–	3	3	2,000–60–2,300– 75– 2,900 द.रो––100–3,500 रूपये

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम–7)

क्रम संख्या	पद नाम		सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।		सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव यदि कोई हो
1	उप–मण्डल अभियन्ता सहायक अभियन्ता		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा उसके समकक्ष।		कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में दस वर्ष का अनुभव।
2	लेखा अधिकारी		––		चूंकि लेखा अधिकारी का पद स्थानीय लेखा निधि विभाग/खजाना एवं लेखा से स्थानान्तरण आधार पर भरा जाना होता है इसलिये इस पद के लिये योग्यता ओर अनुभव सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
3	सहायक जिला न्यायावादी		––		चूंकि सहायक जिला न्यायावादी का पद निदेशक, अभियोजना विभाग से स्थानान्तरण आधार पर भरा जाना होता है इसलिये इस पद क लिये योग्यता ओर अनुभव सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
4	सहायक नगर योजनकार	(i)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय/संस्थान से टाउन प्लानिंग में स्नातकोत्तर उपाधि जो उसके धारक का टाउन प्लानर संस्था (भारत) से सहयोगी सदस्य का पात्र बनायेगी।	(क)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय/संस्थान से टाउन प्लानिंग में स्नातकोत्तर उपाधि जो उसके धारक को टाउन प्लानर संस्था (भारत) से सहयोगी सदस्य का पात्र बनायेगी। या सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि, वास्तुकला में उपाधि जो क्रमशः इंजीनियर संस्थान (भारत)/ वास्तुकला संस्थान की उपाधि के समकक्ष हो तथा डिग्री प्राप्त करने के पश्चात किसी अर्हित नगर योजनाकार के अधीन, नगर योजना मे 3 वर्ष

				  (ख)	का अनुभव। मैट्रिक तक हिन्दी का ज्ञान।
5	सहायक, निदेशक निर्वाचन		——	1 क 2 क ख	पदोन्नति की दशा मे— अधीक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव, स्थानान्तरण की दशा में—— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल से स्नातक। सरकारी सेवा में पर्यवेक्षी के रूप में दस वर्ष का अनुभव या अधीक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।
6	अधीक्षक		——	(i) क ख 2 क ख	पदोन्नति की दशा मे— उप—अधीक्षक/निजि सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव, परन्तु निजी सहायक की दशा मं, सहायक के पद पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य ; या सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक के पद पर 10 वर्ष का अनुभव परन्तु वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में सहायक के पद पर कम से कम 4 वर्ष का अनुभव अनिवार्य। स्थानान्तरण की दशा में—— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल से स्नातक। अधीक्षक या उप—अधीक्षक पद पर एक वर्ष का अनुभव या सहायक के पद पर 10 वर्ष का अनुभव।

			परिशिष्ट ग		
			(देखिये नियम 14(1)		
क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	**2**	**3**	**4**	5	6
1.	उपमण्डल अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता	सरकार	1. छोटी शस्तियां– (i)व्यक्तिक फाईल(आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी; (ii) परनिन्द; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा का उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार को ना किसी ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो वा नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान–मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्याल को हुई किसी धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली, (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना।	निदेशक	सरकार
2.	लेखा अधिकारी				
3.	सहायक योजनाकार				
4.	सहायक जिला न्यायवादी				
5.	सहायक निदेशक(निर्वाचन)				
6.	अधीक्षक				
			2. बड़ी शास्तियां	सरकार	सरकार
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्विया रोकना; (vii)किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्वियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्वियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं । (viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय पर जिससे वह वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा अवनत किया गया था, पदौन्नति के लिये साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड,पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा । (ix) अनिवार्य सेवा निवृति; (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नही होगी; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी। टिप्पणीः– (1) लेखा अधिकारी की दशा में दण्ड प्राधिकारी वही होगा जैसा कि स्थानीय निधि लेखा, हरियाणा तथा खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा के नियमों में प्रावधान किया हुआ है। (2) सहायक जिला न्यायवादी की दशा में दण्ड प्राधिकारी वही होगा जैसा कि अभियोजना विभाग, हरियाणा की सेवा में नियमों में प्रावधान		

परिशिष्ट ध

(देखिये नियम 14 (2))

क्रम संख्या	पद की पद संज्ञा राज्य स्तरीय पद	शास्ति के स्वरूप	शास्ति लगाने के के लिए सशक्त प्राधिकारी	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतितम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	
1.	उपमण्डल अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति। टिप्पणी— (1) लेखा अधिकारी की दशा में दण्ड प्राधिकारी वही होगा जैसा कि स्थानीय निधि सेवा, हरियाणा तथा खजाना एवं लेखा विभाग, हरियाणा के नियमों मं प्रावधान किया हुआ है। (2) सहायक जिला न्यायावादी की दशा में दण्ड प्राधिकारी वही होगा जैसा कि अभियोजना विभाग, हरियाणा के सेवा नियमों में प्रावधान किया हुआ है।	सरकार	–	–
2.	लेखा अधिकारी				
3.	सहायक जिला न्यायवादी				
4.	सहायक नगर योजनाकार				
5.	सहायक निदेशक(निर्वाचन)				
6.	अधीक्षक				

			कि हुआ है।		

एम0 के0 मिगलानी,
वितायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्थानीय शासन विभाग।

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांकः–4 जुलाई, 2012

संख्या 2/6/2005–आर–II – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, निदेशालय, हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1997 को अभी संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात–

1. ये नियम निदेशालय, स्थानीय निकाय, हरियाणा, ग्रुप 'ख' सेवा(संशोधन) नियम, 2012 कहे जा सकते है।
2. निदेशालय, स्थानीय निकाय, हरियाणा ग्रुप 'ख' सेवा नियम, 1997 में, नियम 9 में उप नियम(1) में खण्ड (च)में उप खण्ड (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

(i) " उप अधीक्षक/सहायक तथा निजी सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से क्रमशः 8:1 के अनुपात से पदोन्नति द्वारा या "।

क्रम संख्या	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित नियम
(i)	"उप अधीक्षक/सहायक तथा निजी सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा, या "	" उप अधीक्षक/सहायक तथा निजी सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से क्रमशः 8:1 के अनुपात से पदोन्नति द्वारा या "

राम निवास,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।